

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)
पीठारीन अधिकारी:-दिनेश कुमार गीणा आर.ए.एस.
प्रकरण सं० 83/2020 दायर दिनांक 02.11.2022

उपवान
मंजु देवी वगै

प्रार्थी/प्रतिवादी

वनाम
कारुलाल वगै..

अप्रार्थीगण/वादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी


उपरिस्थिति:-

प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 :- विद्वान अभिभाषक श्री हुकुमचन्द कुमावत
अप्रार्थी/वादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री नीलकमल त्रिवेदी

आदेश

दिनांक 24.01.2025

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अभिभाषकगण उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी इस आशय से पेश किया कि वाद में वर्णित तथ्य इस प्रकार है कि वादीगणो ने धारा 88 आर.टी.एक्ट का वाद पेश किया है। वादीगण का कथन है कि खसरा न. 1226 रकबा 1.9981 हैक्टेयर भूमि का बैचान पत्र वादीगण के हक में खातेदार बालाराम पिता भेरू जाति तेली द्वारा अन्य खसरा न. के साथ ही निष्पादित करा दिया है। इस कारण वादीगण को खसरा न. 1226 रकबा 1.9981 हैक्टेयर का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाने का अनुतोष की मांग की है। उक्त वाद के बाबत प्रार्थना पत्र निम्न आधारो पर प्रस्तुत है। यह कि खसरा न. 1226 रकबा 1.9981 हैक्टेयर भूमि वादीगण के खातेदारी में दर्ज नहीं है अपितु खसरा न. 1636/1226 रकबा 1.4923 हैक्टेयर मृतक बाला पुत्र भेरू की खातेदारी में तथा खसरा न. 1637/1226 रकबा 0.5058 हैक्टेयर भूमि मंजूदेवी रावल पत्नी नन्दकिशोर रावल प्रतिवादी न. 1 की खातेदारी में दर्ज है, जबकि वादीगण के वाद मे घरण कमांक 1 में उक्त खसरा संख्या स्वयं की खातेदारी में दर्ज होने का कथन किया है, जो राजस्व रेकार्ड के विपरित


उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड (राज.)



होने से वाद चलने योग्य नहीं है। यह कि प्रतिवादी न. 1 मंजूदेवी ने खातेदार बाला पुत्र भेरु जो वादीगण के पिता है उनसे दिनांक 26.06.2019 को भूमि रजिस्टर्ड कर कर कब्जा प्राप्त किया है। बैचान पत्र की रोशनी में नामान्तरण दर्ज होकर राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी न. 1 मंजूदेवी खातेदार टिनेन्ट होने से दावा वादीगण काबिल खारीज है। यह कि वादीगण ने अपने पिता बाला पुत्र भेरु तेली से दिनांक 12.06.2020 को कथित विक्रय पत्र का निष्पादन करवाना अंकित किया है, जबकि वादीगण को भली प्रकार से जानकारी है कि उक्त भूमि खसरा न. 1206 में से 2 बीघा भूमि का बैचान खातेदार बाला ने वैधानिक रूप से प्रतिवादी न. 1 के नाम करवाकर कब्जा सम्भलाने पर भी खसरा न. 1226 का सम्पूर्ण रकबा 1.9981 हैक्टेयर का भी कथित बैचान पंजीयन वादीगण ने अवैध कराया करवाया है। यह बैचान प्रतिवादी न. 1 के हक हिस्से खातेदारी तक प्रारम्भ से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी है। यह कि वादीगण ने धारा 88 आर.टी.एक्ट में वाद पेश किया है जबकि प्रतिवादी न. 1 के पक्ष में वैधानिक बैचान का होने के कारण तथा राजस्व रेकार्ड में अमल भी हुआ है। इस कारण वाद पत्र धारा 88 आर.टी.एक्ट में विधि विरुद्ध है तथा जब तक बैचान पत्र जो प्रतिवादी न. 1 के हक में खातेदार बाला वल्द भेरु के द्वारा वैधानिक करवाया है, उसके विरुद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। राजस्व न्यायालय उक्त वाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रार्थना पेश कर प्रार्थना है कि वाद पत्र संख्या 83/2020 को अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी. के तहत विधि विरुद्ध एवं क्षेत्राधिकार के बाहर होने से खारीज किया जाने की कृपा करें।

2. अप्रार्थीगण/वादीगण ने प्रतिवादी नं. 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का जवाब निम्नानुसार पेश है कि यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 1 अस्वीकार है क्योंकि वादीगण ने माननीय न्यायालय में जब वाद पेश किया था तब प्रतिवादिया नं. 1 मंजूदेवी रावल खाते टिनेन्ट नहीं थी उसका राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज नहीं था। वादीगण के खातेदारी में भूमि दर्ज हो चुकी थी लेकिन तहसीलदार पिड़ावा ने गलत तरीके से नामांतरण में शुद्धी करके वादीगण द्वारा खरीदशुदा आराजी को मृतक बाला आत्मज भेरु के

उपखंड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालंधर (राज.)



नाम दर्ज कर दिया था इसलिए ही वादीगण को यह वाद माननीय न्यायालय में पेश करना पड़ा था। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 2 अस्वीकार है क्योंकि वादीगण के वाद पेश करते समय प्रतिवादिया नं. 1 खातेदार नहीं थी। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 3 अस्वीकार है क्योंकि वादीगण को प्रतिवादिया के बयानों की कोई जानकारी नहीं थी जानकारी होते ही वादीगण ने प्रतिवादिया नं. 1 के पक्ष में हुए बयानों को निरस्त करवाने की कार्यवाही सिविल न्यायालय में कर दी है जो अभी भी लम्बित है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 4 अस्वीकार है क्योंकि दौरान वाद प्रतिवादिया नं. 1 खातेदार बनी है तथा सिविल न्यायालय में भी प्रतिवादिया नं. 1 का बयाना खासरीज फरमाने का वाद लम्बित है। इसलिए प्रतिवादिया का प्रार्थना पत्र खासरीज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी सं. 1 का प्रार्थना पत्र खासरीज फरमाया जावे।

3. प्रार्थी सं. 1 की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम कोटडी के खाता सं. 670, 338 जमाबंदी सं. 2071-74 की नकल एवं न्यायिक दृष्टांत मोडूराम बनाम गणेश 2019(1) आर.आर.टी.पेज नं. 268, हेमराज बनाम बद्रीलाल 2021(1) आर.आर.टी.पेज नं. 500, दहीबेना बनाम अरविन्द भाई कल्याणसिंह भंसोली 2020(2) आर.आर.टी.पेज नं. 1200 पेश की।

4. अप्रार्थीगण की ओर से न्यायिक दृष्टांत मोडूराम बनाम राजस्व मण्डल 2015(1) आर.आर.टी.पेज नं. 474, देवेन्द्रसिंह बनाम सविबर कौर 2014(2) आर.आर.टी. पेज नं. 1263, सतीशचन्द्र बनाम सरोती देवी 2015(2) आर. आर.टी.पेज नं. 1396 एवं माननीय सिविल न्यायालय पिडावा की आदेशिका दि. 05.01.2021 एवं वाद पत्र की प्रमाणित प्रति पेश की।

5. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी सं. 1 द्वारा बहस प्रार्थना पत्र के दौरान कथन किया कि अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा वादपत्र में ग्राम कोटडी तहसील पिडावा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1226 रकबा 1.9981 है.पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है लेकिन स्वयं अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा वादपत्र के मद सं. 1, 3 व 4 में स्वयं स्वीकार किया किया है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.

उपस्थित अभिभाषक
पिडावा जिला दफतरी (पत्र)



06.2019 से अप्रार्थीगण के पिता बालाराम पि. भेरु से क़य कर कब्ज़ा प्राप्त कर लिया था। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी दिनांक 25.07.2024 में भी स्वयं स्वीकार किया है कि अप्रार्थीगण/वादीगण को उक्त बचान की कोई जानकारी नहीं थी, जानकारी होते ही प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में हुए बचानों को निरस्त करने की कार्यवाही सिविल न्यायालय में कर दी गई है जो अभी भी लंबित है और इसलिए प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में किये गये बचानों को ख़ारीज कराने का वाद सिविल न्यायालय में लंबित होने से प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 का यह प्रार्थना पत्र ख़ारीज फरमाया जावे। अतः अप्रार्थीगण ने स्वयं साबित कर दिया है कि प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क़य कर कब्ज़ा प्राप्त कर लिया था। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा आगे तर्क किया गया कि प्रार्थी वर्तमान में वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार कृषक है। किसी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को ख़ारीज करने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को है। अतः अप्रार्थीगण का वादपत्र क्षेत्राधिकार से वर्जित होने से इसी स्तर पर ख़ारीज किया जावे।

6. अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा उक्त बहस का पूरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.06.2020 से खातेदार बालाराम पि. भेरु से वादग्रस्त आराजी क़य की थी और इसी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने का क्षेत्राधिकार सिर्फ राजस्व न्यायालय को है। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने आगे तर्क किया कि जिस समय वादीगण द्वारा बालाराम से उक्त भूमि को क़य किया था उस दिन राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप में प्रार्थी मंजुदेवी का नाम दर्ज न होकर बालाराम पि. भेरु का नाम दर्ज था। वादग्रस्त आराजी पर आज भी कब्ज़ा अप्रार्थीगण का है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को ख़ारीज किया जाकर प्रकरण में तनकी कायम की जाकर और साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर निर्णित किया जावे।


 उपखण्ड अभिष्कारी
 पिड़वा, जिला अलाहाबाद (गज़०)



7. अभिभाषक प्रार्थी द्वारा पुनः तर्क किया गया कि प्रार्थी द्वारा खातेदार बालाराम पि. भेरु से दिनांक 26.06.2019 को वादग्रस्त आराजी कय करके कब्जा प्राप्त कर लिया था लेकिन राजस्व कार्मिकों द्वारा जान बूझकर नामान्तरण तस्दीक नहीं किया गया है जिससे वादग्रस्त आराजी का कानूनी स्वामित्व व कब्जा तो प्रार्थी सं. 1 के पक्ष में निहित था केवल तकनीकी कारणों से जमाबंदी में विकेता बालाराम का नाम दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाकर अप्रार्थीगण द्वारा करीब 6 माह बाद दिनांक 12.06.2020 को अपने पक्ष में रजिस्ट्री करवा ली गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणों में यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि एक बार किसी भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से स्वामित्व अंतरण होने के बाद किये गये पश्चातवर्ती अंतरण प्रभाव शून्य व अवैध होंगे। अतः अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये पश्चातवर्ती अंतरण दिनांक 12.06.2020 स्वतः ही प्रभाव शून्य होने से खारीज योग्य है।

8. उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सुनी गई। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ पेश ग्राम कोटडी की हाल जमाबंदी सं. 2071-74 दिनांक 26.06.2024 के अनुसार मूल ख.नं. 1226 रकबा 1.9981 है. में से रकबा 0.5058 है जिसका नया ख.नं. 1637/1226 है - प्रार्थी मंजुदेवी रावल के खाते जबकि शेष भूमि नया ख.नं. 1636/1226 रकबा 1.4923 है. बाला पि. भेरु के खाते दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण/वादीगण के वादपत्र के मद सं. 2 व 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम कोटडी की वादीगण की कयशुदा व कब्जे की भूमि खाता सं. 662 के ख.नं. 1226 रकबा 1.9981 है. भूमि पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर राजस्व रिकार्ड में फेरबदल कर जबरन अवैध अतिक्रमण करने का अंकन किया गया है जबकि प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 के प्रार्थना पत्र में अंकन है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1226 रकबा 1.9981 है. में से प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.06.2019 रकबा 0.5058 है. कय कर कब्जा प्राप्त कर लिया और नामान्तरण तस्दीक होकर वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार कृपक के रूप दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के कय करने के बाद


उपखण्ड अधिकारी

पिड़वा, जिला शाहीनपुर (राज.)

5



वादीगण ने अपने पिता खातेदार बाला पि. भेरु से प्रार्थी के पक्ष में रजिस्ट्री की जानकारी होने के बावजूद भी अपने पक्ष में दिनांक 12.06.2020 को कथित विक्रय पत्र निष्पादित करवाये गये है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के मद सं. 3 व 4 में स्वयं स्वीकार किया है कि वादीगण को प्रतिवादिया के बयनामों की कोई जानकारी नहीं थी, जानकारी होते ही वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में हुए बयनामों को निरस्त कराने की कार्यवाही सिविल न्यायालय में कर दी है जो अभी लंबित है। अतः अप्रार्थीगण के वादपत्र व जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1226 के खातेदार बाला पि. भेरु द्वारा पहले 0.5058 है. भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.06.2019 से प्रार्थीया के पक्ष में करने के पश्चात जमाबंदी में स्वयं का नाम दर्ज होने से मात्र के आधार पर सम्पूर्ण भूमि रकबा 1.9981 है. भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अप्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 12.06.2020 को निष्पादित किया गया। यह सही है कि खातेदार बाला पि. भेरु द्वारा प्रार्थी के पक्ष में ख.नं. 1226 रकबा 1.9981 है. में से 0.5058 है. भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.06.2019 से बेचान किये जाने के बाद उक्त विक्रय पत्र के सक्षम सिविल न्यायालय से खारीज नहीं किये जाने तक खातेदार बाला को कानूनी रूप से केवल शेष बची भूमि रकबा 1.4923 है. भूमि का ही पश्चातवर्ती बेचान करने का हक व अधिकार था।

9. अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्वयं स्वीकार किया है कि प्रार्थी/प्रतिवादी के पक्ष में कराये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.06.2019 को खारीज कराने के लिए अप्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय पिडावा में वाद दायर कर रखा है जो अभी लंबित होना अंकित किया है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के साथ संलग्न सिविल वाद सं. 04/2021 सीताराम वगै. बनाम मंजुदेवी वास्ते निरस्त किये जाने बयनामा क्रमांक 201903285101364 दिनांक 26.06.2019 से भी उक्त कथनों का समर्थन होता है। यद्यपि अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.06.2020 के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए यह वाद सं. 83/2020 इस न्यायालय में दायर किया

उपस्थित अधिकारी
पिडावा, जिला अदालत, (यज०)



है, तथापि यह भी सही है कि उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.06.2019 को सक्षम सिविल न्यायालय से खारीज कराये बिना अप्रार्थीगण को उसी भूमि के पश्चातवर्ती विक्रय पत्र दिनांक 12.06.2020 के आधार पर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। रजिस्टर्ड दरतावेज के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करना राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार है लेकिन ऐसे रजिस्टर्ड दरतावेज से पूर्व हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को खारीज करने का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय का है।

10. प्रकरण में तथ्यों के कानूनी बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

11. Rejection of plaint.- The plaint shall be rejected in the following cases:— (a) where it does not disclose a cause of action; (b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so; (c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so; (d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law; (e) where it is not filed in duplicate; (f) where the plaintiff fails comply with the provision of Rule 9.

Provided that the time fixed by the court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp papers shall not be extended unless the court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp papers, as the case may be within the time fixed by the court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.


 उपखण्ड अधिकारी
 पिडावा, जिला झ.सो.सं. (राज.)



11. इस संदर्भ में माननीय मदास उच्च न्यायालय द्वारा Smt. V Bragan Nayagi vs R. R. Jeyaprakasam प्रकरण में दिनांक 01.04.2015 को दिये गये निर्णय के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण प्रासंगिक है जो कि इस प्रकार है—

“While filing an application under Order 7 Rule 11 of the Code of Civil Procedure, the Court is bound to see whether the case on hand falls within six limbs stated in the said Rule. If the suit is not falling under any of those categories, the plaint cannot be rejected”.

12. सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 एवं माननीय मदास उच्च न्यायालय द्वारा Smt.V.Bragan Nayagi vs R.R.Jeyaprakasam प्रकरण में दिनांक 01.04. 2015 को दिये गये निर्णय में बताये गये 06 आधारों के उक्त साधारण पठन से ज्ञात होता है कि किसी वाद पत्र को निम्न 06 आधारों पर खारीज किये जाने के प्रावधान बनाये गये हैं—

1. वाद पत्र द्वारा वाद हेतुक का प्रकटीकरण नहीं किया जाना।
2. वाद पत्र में अनुतोष के मूल्य की वास्तविकता से कम गणना करना तथा निर्धारित समय के अवसर के तहत उक्त त्रुटिपूर्ण गणना को दुरुस्त नहीं करना।
3. वाद पत्र में अनुतोष के मूल्य की सटीक गणना करना परन्तु उसी अनुरूप उचित स्टाम्प वाद पत्र पर नहीं लगाना तथा निर्धारित समय के अवसर के तहत उक्त त्रुटिपूर्ण स्टाम्प की कमी को दुरुस्त नहीं करना।
4. वाद पत्र के अभिकथनों के आधार पर वाद-पत्र का विधि द्वारा वर्जित पाया जाना।
5. वाद पत्र का बहु प्रतिलिपियों में प्रस्तुत नहीं किया जाना।
6. वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-9 के प्रावधानों की अनुपालना करने में विफल होना।

Object

13. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश-7 नियम-11 के संपूर्ण विवेचन हेतु न्यायिक दृष्टान्तों का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। सर्वप्रथम

उपखण्ड अधिकारी
मिडान, जिला इलाहाबाद (राज.)



सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali में दिनांक 09.07.2020 को सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“The underlying object of Order VII Rule 11 (a) is that if in a suit, no cause of action is disclosed, or the suit is barred by limitation under Rule 11 (d), the Court would not permit the plaintiff to unnecessarily protract the proceedings in the suit. In such a case, it would be necessary to put an end to the sham litigation so that further judicial time is not wasted”.

14 इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन याचिका उनवान Azhar Hussain vs Rajiv Gandhi में दिनांक 25.04.1986 को सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“The whole purpose of conferment of such powers is to ensure that a litigation which is meaningless and bound to prove abortive should not be permitted to occupy the time of the court and exercise the mind of the respondent. The sword of Damocle need not be kept hanging over his head unnecessarily without point or purpose. Even in an ordinary Civil litigation the Court readily exercises the power to reject a plaint if it does not disclose any cause of action. Or the power to direct the concerned party to strike out unnecessary, scandalous, frivolous or vexatious parts of the pleadings. Or such pleadings which are likely to cause embarrassment or delay the fair trial of the action or which is otherwise an abuse of the process of law. An order directing a party

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला शाहानगर (राज०)



to strike out a part of the pleading would result in the termination of the case arising in the context of the said pleading. The Courts in exercise of the powers under the Code of Civil Procedure can also treat any point going to the root of the matter such as one pertaining to jurisdiction or maintainability as a preliminary point and can dismiss a suit without proceeding to record evidence and hear elaborate arguments in the context of such evidence, if the Court is satisfied that the action would terminate in view of the merits of the preliminary point of objection”.

15. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 23.01.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“The real object of Order VII Rule 11 of the Code is to keep out of courts irresponsible law suits. Therefore, the Order X of the Code is a tool in the hands of the Courts by resorting to which and by searching examination of the party in case the Court is prima facie of the view that the suit is an abuse of the process of the court in the sense that it is a bogus and irresponsible litigation, the jurisdiction under Order VII Rule 11 of the Code can be exercised”.

16. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान Dr. L. Ramachandran vs K. Ramesh में दिनांक 07.09.2015 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उद्देश्य (Object)/क्षेत्र (Scope) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है, जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“The scope of Rule 11 of Order 7 CPC has been explained in various decisions and the legal principle deducible are that, if the Plaintiff does not disclose the cause of action or is barred by law; can

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला अलावरगुड (राज०)



(15)

be rejected where the litigation was utterly vexatious and abuse of process of Court ; if any one of the conditions mentioned under the Rule were found to exist, thus saving the defendants onerous and hazardous task of contesting a non-maintainable suit during the course of protracted litigation and where the suit was instituted without proper authority. Thus, the provision of Order 7 Rule 11 CPC being procedural is designed and aimed to prevent vexatious and frivolous litigation. The plaint is liable to be rejected on the ground of limitation only where the suit appears from the statements in the plaint to be barred by any law and the law within the meaning of clause (d) of Order 7 Rule 11 CPC, shall include law of limitation as well".

Nature of Power

17. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत प्रदत्त शक्ति की प्रकृति (Nature of Power) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali में दिनांक 09.07.2020 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत प्रदत्त शक्ति की प्रकृति (Nature of Power) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

"The remedy under Order VII Rule 11 is an independent and special remedy, wherein the Court is empowered to summarily dismiss a suit at the threshold, without proceeding to record evidence, and conducting a trial, on the basis of the evidence adduced, if it is satisfied that the action should be terminated on any of the grounds contained in this provision.

18. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 23.01. 2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908

उपलब्ध अभिलेखी
पिडावा, जिला अहमदनगर (म.प्र.)



के आदेश-7 नियम-11 के तहत प्रदत्त शक्ति की प्रकृति (Nature of Power) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“Rule 11 of Order VII lays down an independent remedy made available to the defendant to challenge the maintainability of the suit itself, irrespective of his right to contest the same on merits. The law ostensibly does not contemplate at any stage when the objections can be raised, and also does not say in express terms about the filing of a written statement. Instead, the word 'shall' is used clearly implying thereby that it casts a duty on the Court to perform its obligations in rejecting the plaint when the same is hit by any of the infirmities provided in the four clauses of Rule 11, even without intervention of the defendant. In any event, rejection of the plaint under Rule 11 does not preclude the plaintiffs from presenting a fresh plaint in terms of Rule 13”.

19. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali में दिनांक 09.07.2020 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत प्रदत्त शक्ति की प्रकृति (Nature of Power) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“The provision of Order VII Rule 11 is mandatory in nature. It states that the plaint “shall” be rejected if any of the grounds specified in clause (a) to (e) are made out. If the Court finds that the plaint does not disclose a cause of action, or that the suit is barred by any law, the Court has no option, but to reject the plaint”.

20. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या 389/2004 उनवान Ferdous Finance (P) Ltd Vs. R. Thyagarajan, Chennai में दिनांक 25.02.2005 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत प्रदत्त शक्ति की प्रकृति (Nature of Power) के संबंध में



उपखण्ड न्यायाधीश प्रथम
पिडुकोट्टाई, जिला न्यायालय (तमिलनाडु)

(17)

दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

"It is akin that the power available to High Court under section 482 of the Code of Criminal Procedure in quashing criminal proceeding.

Role of the Court/Judge

21. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत न्यायालय/न्यायाधीश की भूमिका (Role of the court/judge) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उनवान T. Arivandandam vs T. V. Satyapal & Another में दिनांक 14.10.1977 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत न्यायालय/न्यायाधीश की भूमिका (Role of the court/judge) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

"The learned Munsif must remember that if on a meaningful not formal-reading of the plaint it is manifestly vexatious, and meritless, in the sense of not disclosing a clear right to sue, he should exercise his power under Or. VII r. 11 C.P.C. taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. And, if clever, drafting has created the illusion of a cause of action, nip it in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order X C.P.C. An activist Judge is the answer to irresponsible law suits. The trial court should insist imperatively on examining the party at the first bearing so that bogus litigation can be shot down at the earliest stage. The Penal Code (Ch. XI) is also resourceful enough to meet such men, and must be triggered against them. In this case, the learned Judge to his cost realised what George Bernard Shaw remarked on the assassination of Mahatma Gandhi "It is dangerous to be too good."



उपखण्ड अधिकारी
पिठावा, जिला अहमदाबाद (राज.)

22. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 23.01. 2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत न्यायालय/न्यायाधीश की भूमिका (Role of the court/judge) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“The trial Court must remember that if on a meaningful and not formal reading of the plaint it is manifestly vexatious and meritless in the sense of not disclosing a clear right to sue, it should exercise the power under Order VII Rule 11 of the Code taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. If clever drafting has created the illusion of a cause of action, it has to be nipped in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order X of the Code”.

23. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 4993/2012 उनवान Ponnala Lakshmaiah vs Kommuri Pratap Reddy में दिनांक 06.07.2012 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत न्यायालय/न्यायाधीश की भूमिका (Role of the court/judge) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“The Courts need to be cautious in dealing with requests for dismissal of the petitions at the threshold and exercise their powers of dismissal only in cases where even on a plain reading of the petition no cause of action is disclosed”.

24. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 5540/2016 उनवान R K Roja vs U S Rayudu & Anr में दिनांक 04.07.2016 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत न्यायालय/न्यायाधीश की भूमिका (Role of the court/judge) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-



4
 उपखण्ड अधिकारी
 पिठामूर, जिला आसमंड (रज०)

"Once an application is filed under Order VII Rule 11 of the CPC, the court has to dispose of the same before proceeding with the trial. There is no point or sense in proceeding with the trial of the case, in case the plaint (Election Petition in the present case) is only to be rejected at the threshold. Therefore, the defendant is entitled to file the application for rejection before filing his written statement. In case, the application is rejected, the defendant is entitled to file his written statement thereafter. But once an application for rejection is filed, the court has to dispose of the same before proceeding with the trial court".

25. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान Hindustan Petroleum Corporation Ltd Vs. C.M. Hari Raj and other में दिनांक 28.01.2002 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत तहत न्यायालय/न्यायाधीश की भूमिका (Role of the court/judge) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

"Furthermore, Order 7 Rule 11 of Civil Procedure Code provides only limited ground for rejection of the plaint and I am of the view that the court below has come to the conclusion as if there is no cause of action for the plaintiff to file the suit and ultimately rejected the same as well as rejected the petition. The question whether there is any cause of action or not can be ultimately decided only after issue of notice to the other side and the Court cannot act as a spokesman of the defendants".

26. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान M. Thillaikkarasi vs Kalavathi में दिनांक 11.09.2013 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत तहत न्यायालय/न्यायाधीश की भूमिका (Role of the court/judge) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-



U
उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला अरसिकोटा (रज०)

"The court cannot conduct a roving enquiry to find out whether the averments made in the plaint claiming how the suit was in time, are true or false. On the other hand, on the very basis of the averment made in the plaint, it should be apparent that suit shall be barred by limitation to bring the plaint within the ambit of clause (d) of Rule 11 of Order VII CPC. What clause (d) of Rule 11 of Order VII CPC says is that it must appear from the statements made in the plaint itself that the suit is barred by law".

Exercise of power

27. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत उपलब्ध शक्ति का अनुप्रयोग (Exercise of power) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 23.01.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत उपलब्ध शक्ति का अनुप्रयोग (Exercise of power) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

"Rule 11 of Order VII lays down an independent remedy made available to the defendant to challenge the maintainability of the suit itself, irrespective of his right to contest the same on merits. The law ostensibly does not contemplate at any stage when the objections can be raised, and also does not say in express terms about the filing of a written statement. Instead, the word 'shall' is used clearly implying thereby that it casts a duty on the Court to perform its obligations in rejecting the plaint when the same is hit by any of the infirmities provided in the four clauses of Rule 11, even without intervention of the defendant. In any event, rejection of the plaint under Rule 11 does not preclude the plaintiffs from presenting a fresh plaint in terms of Rule 13".



[Signature]
उपखण्ड अफिसरी
मिडिया, जिला सोनभद्र (उ.प्र.)

28. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान Mani Alias Nagamani vs P. Ramakrishnan में दिनांक 31.01.2018 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत उपलब्ध शक्ति का अनुप्रयोग (Exercise of power) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“The power under Article 227 of the Constitution of India is extraordinary discretionary power which can be exercised to strike off the proceedings, which is frivolous, vexatious and fraudulent at the initial stage itself. The power to strike off the plaint can be exercised even if the defendant did not file an application to reject the plaint under Order VII Rule 11 C.P.C. The scope of power under Article 227 of the Constitution of India is to prevent waste of time of Court as well as to prevent hardship and harassment to the other side”.

Material to be considered

29. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत वाद पत्र के अभिकथनों के पठन (Material to be considered) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali में दिनांक 09.07.2020 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत वाद पत्र के अभिकथनों के पठन (Material to be considered) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“At this stage, the pleas taken by the defendant in the written statement and application for rejection of the plaint on the merits, would be irrelevant, and cannot be adverted to, or taken into consideration. The test for exercising the power under Order VII Rule 11 is that if the averments made in the plaint are taken in entirety, in conjunction with the documents relied upon, would the same result in a decree being passed”.



उपखण्ड अधिकारी
पिंपरी, जिल्हा महाराष्ट्र (राज०)

30. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनवान Sanjay Kaushish vs D.C. Kaushish And Others में दिनांक 10.09.1991 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत वाद पत्र के अभिकथनों के पठन (Material to be considered) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“while deciding the application under Order VII, Rule 11 of the Code of Civil Procedure the Court can look to the documents referred to in the plaint”.

31. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान S. Gunaseelan vs C. Valarmath में दिनांक 18.09.2009 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत वाद पत्र के अभिकथनों के पठन (Material to be considered) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“It is to be noted that when this court is called upon to exercise jurisdiction to reject the plaint under Order 7 Rule 11 of CPC, the averments made in the plaint and the documents filed along with the plaint, which form part thereof alone will be taken into consideration and this court cannot consider the defence, pleas or materials submitted by the defendant for the purpose of rejecting the plaint. In other words, what can be a defence to the plaintiff cannot be taken into consideration for deciding as to whether the plaint should be rejected or not under Order 7 Rule 11 of CPC”.

32. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 3038/2008 उनवान Kamala & Ors vs K.T. Eshwara Sa & Ors में दिनांक 29.04.2008 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत वाद पत्र के अभिकथनों के पठन (Material to be considered) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-



[Handwritten Signature]
 उपखण्ड अधिकारी
 पिडावा, जिला आलाबाद (राज.)

"15. Order VII, Rule 11(d) of the Code has limited application. It must be shown that the suit is barred under any law. Such a conclusion must be drawn from the averments made in the plaint. Different clauses in Order VII, Rule 11, in our opinion, should not be mixed up. Whereas in a given case, an application for rejection of the plaint may be filed on more than one ground specified in various subclauses thereof, a clear finding to that effect must be arrived at. What would be relevant for invoking clause (d) of Order VII, Rule 11 of the Code is the averments made in the plaint. For that purpose, there cannot be any addition or subtraction. Absence of jurisdiction on the part of a court can be invoked at different stages and under different provisions of the Code. Order VII, Rule 11 of the Code is one, Order XIV, Rule 2 is another".

"16. For the purpose of invoking Order VII, Rule 11(d) of the Code, no amount of evidence can be looked into. The issues on merit of the matter which may arise between the parties would not be within the realm of the court at that stage. All issues shall not be the subject matter of an order under the said provision".

Test

33. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत वाद पत्र के परीक्षण (Test) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusall में दिनांक 09.07.2020 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत वाद पत्र के परीक्षण (Test) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-



"At this stage, the pleas taken by the defendant in the written statement and application for rejection of the plaint on the merits, would be irrelevant, and cannot be adverted to, or taken into

उपस्थित अभियन्त्री
 पिडावा, जिला अलाहाबाद (उज्जैन)

consideration. The test for exercising the power under Order VII Rule 11 is that if the averments made in the plaint are taken in entirety, in conjunction with the documents relied upon, would the same result in a decree being passed. Whether a plaint discloses a cause of action or not is essentially a question of fact. But whether it does or does not must be found out from reading the plaint itself. For the said purpose, the averments made in the plaint in their entirety must be held to be correct. The test is as to whether if the averments made in the plaint are taken to be correct in their entirety, a decree would be passed." In *Hardesh Ores (P.) Ltd. v. Hede & Co.*⁵ the Court further held that it is not permissible to cull out a sentence or a passage, and to read it in isolation. It is the substance, and not merely the form, which has to be looked into. The plaint has to be construed as it stands, without addition or subtraction of words".

34. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान *Balasubramaniam Guhan vs T. Hemapriya* में दिनांक 25.02.2005 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत वाद पत्र के परीक्षण (Test) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

"In the absence of the conditions mentioned in Rule 11 of Order VII CPC or any other valid grounds, the application filed under this Rule is liable to be dismissed".

Stage

35. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के अनुप्रयोग हेतु चरण (Stage) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 8518/2002 उनवान *Saleem Bhai And Ors vs State Of Maharashtra And Ors* में दिनांक 17.12.2002 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के



U
उपस्थित अधिकारी
सिडोवा, जिल्हा अदालत (सोलापूर)

आदेश-7 नियम-11 के अनुप्रयोग हेतु चरण (Stage) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

"A perusal of Order VII Rule 11 C.P.C. makes it clear that the relevant facts which need to be looked into for deciding an application thereunder are the averments in the plaint. The trial court can exercise the power under Order VII Rule 11 C.P.C. at any stage of the suit-before registering the plaint or after issuing summons to the defendant at any time before the conclusion of the trial. For the purposes of deciding an application under clauses (a) and (d) of Rule 11 of Order VII C.P.C. the averments in the plaint are germane; the pleas taken by the defendant in the written statement would be wholly irrelevant at that stage, therefore, a direction to file the written statement without deciding the application under Order VII Rule 11 C.P.C. cannot but be procedural irregularity touching the exercise of jurisdiction by the trial court".

36. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 23.01. 2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के अनुप्रयोग हेतु चरण (Stage) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

"Rule 11 of Order VII lays down an independent remedy made available to the defendant to challenge the maintainability of the suit itself, irrespective of his right to contest the same on merits. The law ostensibly does not contemplate at any stage when the objections can be raised, and also does not say in express terms about the filing of a written statement. Instead, the word 'shall' is used clearly implying thereby that it casts a duty on the Court to perform its obligations in rejecting the plaint when the same is hit



उपखण्ड अधिकारी
पिड़वा, जिला आलामगढ़ (राज.)

by any of the infirmities provided in the four clauses of Rule 11, even without intervention of the defendant. In any event, rejection of the plaint under Rule 11 does not preclude the plaintiffs from presenting a fresh plaint in terms of Rule 13”.

37. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 8518/2002 उनवान Saleem Bhai And Ors vs State Of Maharashtra And Ors में दिनांक 17.12.2002 दिये गये निर्णय में को सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत अनुप्रयोग हेतु चरण (Stage) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“A perusal of Order VII Rule 11 C.P.C. makes it clear that the relevant facts which need to be looked into for deciding an application thereunder are the averments in the plaint. The trial court can exercise the power under Order VII Rule 11 C.P.C. at any stage of the suit-before registering the plaint or after issuing summons to the defendant at any time before the conclusion of the trial. For the purposes of deciding an application under clauses (a) and (d) of Rule 11 of Order VII C.P.C. the averments in the plaint are germane; the pleas taken by the defendant in the written statement would be wholly irrelevant at that stage, therefore, a direction to file the written statement without deciding the application under Order VII Rule 11 C.P.C. cannot but be procedural irregularity touching the exercise of jurisdiction by the trial court”.

38. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 4626/2007 उनवान Ram Prakash Gupta vs Rajiv Kumar Gupta & Ors में दिनांक 03.10.2007 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत अनुप्रयोग हेतु चरण (Stage) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“19. It is also relevant to mention that after filing of the written statement, framing of the issues including on limitation,



उपखण्ड अधिकारी
मिडगांव, जिला अहमदनगर (राज.)

evidence was led, plaintiff was crossexamined, thereafter before conclusion of the trial, the application under Order VII Rule 11 was filed for rejection of the plaint. It is also pertinent to mention that there was not even a suggestion to the plaintiff/appellant to the effect that the suit filed by him is barred by limitation.

20. On going through the entire plaint averments, we are of the view that the trial Court has committed an error in rejecting the same at the belated stage that too without advertng to all the materials which are available in the plaint. The High Court has also committed the same error in affirming the order of the trial Court.

How to read and examine the plaint

39. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत वाद पत्र के पठन एवं परीक्षण (How to read and examine the plaint) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali में दिनांक 09.07.2020 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के वाद पत्र के पठन एवं परीक्षण (How to read and examine the plaint) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“If on a meaningful reading of the plaint, it is found that the suit is manifestly vexatious and without any merit, and does not disclose a right to sue, the court would be justified in exercising the power under Order VII Rule 11 CPC. 12.9 The power under Order VII Rule 11 CPC may be exercised by the Court at any stage of the suit, either before registering the plaint, or after issuing summons to the defendant, or before conclusion of the trial, as held by this Court in the judgment of Saleem Bhai v. State of Maharashtra. A three-Judge Bench of this Court in State of Punjab v. Gurdev Singh,13 held that the Court must examine the plaint and determine



उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला बहाल (राज.)

when the right to sue first accrued to the plaintiff, and whether on the assumed facts, the plaint is within time. The words "right to sue" means the right to seek relief by means of legal proceedings. The right to sue accrues only when the cause of action arises. The suit must be instituted when the right asserted in the suit is infringed, or when there is a clear and unequivocal threat to infringe such right by the defendant against whom the suit is instituted".

40. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 23.01, 2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत वाद पत्र के पठन एवं परीक्षण (How to read and examine the plaint) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

"There cannot be any compartmentalization, dissection, segregation and inversions of the language of various paragraphs in the plaint. If such a course is adopted it would run counter to the cardinal canon of interpretation according to which a pleading has to be read as a whole to ascertain its true import. It is not permissible to cull out a sentence or a passage and to read it out of the context in isolation. Although it is the substance and not merely the form that has to be looked into, the pleading has to be construed as it stands without addition or subtraction or words or change of its apparent grammatical sense. The intention of the party concerned is to be gathered primarily from the tenor and terms of his pleadings taken as a whole. At the same time it should be borne in mind that no pedantic approach should be adopted to defeat justice on hair-splitting technicalities".



41. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान Mr. P. Rajkumar vs Mrs. Mary Saroja में दिनांक 15.04.2013 को दिये गये निर्णय में सिविल

उपखण्ड अधिकारी
पिंपीवा, जिला अलमोडा (राने)

24

प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत वाद पत्र के पठन एवं परीक्षण (How to read and examine the plaint) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

"Although it is the substance and not merely the form that has to be looked into, the pleading has to be construed as it stands without addition or subtraction of words or change of its apparent grammatical sense. The intention of the party concerned is to be gathered primarily from the tenor and terms of his pleadings taken as a whole. At the same time, it should be borne in mind that no pedantic approach should be adopted to defeat justice on hair-splitting technicalities".

How to exercise the power

42. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत प्रदत्त शक्ति के अनुप्रयोग (How to exercise the power) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उनवान Roop Lal Sathi vs Nachhattar Singh में दिनांक 02.11.1982 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत प्रदत्त शक्ति के अनुप्रयोग (How to exercise the power) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

"Only a part of the claim cannot be rejected and if no cause of action is disclosed, the plaint as a whole must be rejected".

43. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान S. Gunaseelan vs C. Valarmath में दिनांक 18.09.2009 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत प्रदत्त शक्ति के अनुप्रयोग (How to exercise the power) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

"The power under Order 7 Rule 11 of CPC speaks about rejection of plaint in four circumstances. The first one being non



उपसुब्ब अधिकारी
चिड़वा, जिला अलाहाबाद (1970)

disclosure of cause of action and the last one is of a bar on suit under any provision of law. The other two grounds on which the plaint could be rejected relate to valuation and non payment of court fee, which are not matters concerned with the present case. The disputed questions cannot be decided at the time of considering an application filed under Order 7 Rule 11 of CPC. For an order under Order 7 Rule 11 of CPC, it is the plaint alone which has to be considered and if the plaint makes out a case indicating a cause of action, then falsity of the claim would be a matter to be determined at the time of trial and if at all the suit is found to be vexatious or based on false assertion, then the plaintiff would be liable for compensatory cost under Section 35A of CPC. The intention of the party concerned is to be gathered primarily from the tenor and terms of pleadings taken as a whole. At the same time, it should be borne in mind that no pedantic approach should be adopted to defeat justice on hair splitting technicalities”.

44. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान Astral Cables Limited vs The National Small Industries में दिनांक 11.03.2011 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत प्रदत्त शक्ति के अनुप्रयोग (How to exercise the power) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“It has been held that while considering the rejection of plaint under O 7 Rule 11 CPC, the strength or weakness of the plaintiff's case is not to be seen and what is required to be disclosed by the plaintiff is clear right to sue”.

45 .माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान R.Perumal Naicker vs R.Sakrapani में दिनांक 26.04.2013 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत प्रदत्त शक्ति के अनुप्रयोग



उपखण्ड अधिवक्ता
पिडावा, जिला आंध्रप्रदेश (राज.)

(How to exercise the power) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

"It is to be noted that under Order VII Rule 11 of CPC there is a requirement of inclusion of cause of action. Ordinarily, a court of law is to presume that every allegation in the plaint is true. As a matter of fact, when the plaint raises arguable points which requires deeper deliberation and scrutiny, the same cannot be rejected in the eye of law. Also, that, a plaint cannot be rejected under Order VII Rule 11 of CPC, where the suit is required to be heard on merits after taking evidence in a given case. However, if the averments made in the plaint and the documents relied upon establish a cause of action, then the plaint should not be merely rejected based on the reason that the averments are not enough to prove the facts mentioned therein. Moreover, a court of law can examine the parties to clear the pleadings".

46. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान Mani Alias Nagamani vs P. Ramakrishnan में दिनांक 31.01.2018 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत प्रदत्त शक्ति के अनुप्रयोग (How to exercise the power) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

"The power under Article 227 of the Constitution of India is extraordinary discretionary power which can be exercised to strike off the proceedings, which is frivolous, vexatious and fraudulent at the initial stage itself. The power to strike off the plaint can be exercised even if the defendant did not file an application to reject the plaint under Order VII Rule 11 C.P.C. The scope of power under Article 227 of the Constitution of India is to prevent waste of time of Court as well as to prevent hardship and harassment to the other side".



4
उपखण्ड अधिकारी
पिठावा, जिला आंध्र प्रदेश (राज०)

47. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान K. L. R. Niranjn vs L. Leelakrishnan में दिनांक 12.04.2018 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत प्रदत्त शक्ति के अनुप्रयोग (How to exercise the power) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

"The 1st respondent has paid proper court fee for the relief sought for when he originally filed the suit. Plaint cannot be rejected in partly. Either it must be rejected in entirety or application for rejection of plaint must be dismissed. In the present case, the petitioners are seeking rejection of plaint for nonpayment of court fee for the relief included by amendment. For such non payment the plaint cannot be rejected in entirety".

48. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान Sunnath Jamath Committee Of vs K.Anthonysamy में दिनांक 26.08.2009 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के तहत प्रदत्त शक्ति के अनुप्रयोग (How to exercise the power) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

"As noted supra, the Order VII Rule 11 does not justify rejection of any particular portion of the plaint. Order VI Rule 16 of the Code is relevant in this regard. It deals with 'striking out pleadings'. It has three clauses permitting the Court at any stage of the proceedings to strike out or amend any matter in any pleading i.e. (a) which may be unnecessary, scandalous, frivolous or vexatious, or (b) which may tend to prejudice, embarrass or delay the fair trial of the suit, or (c) which is otherwise an abuse of the process of the court."



49. उपरोक्त विधिक प्राक्यान न्यायिक दृष्टाती के परिपेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। हस्तगत प्रकरण में वादीगण वादग्रस्त

✓
 उपखण्ड जजिबारी
 रिडाय, निल (स.स.स.) (स.स.)

आपकी मूल खन 1226 रकबा 1.9981 है न से 0.5058 है की प्रतीया के पक्ष में रजिस्ट्री होकर खाते दर्ज भूमि पर परवातवाती विक्रय पत्र दिनांक 12.08.2020 के अन्तर्गत पर सम्पूर्ण रकबा 1.9981 है भूमि पर खातेदारी अधिकारी की घोषणा को लेकर वाद लाये है जबकि उक्त विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2019 को खरीज करवाने हेतु सिविल वाद सं 04/2021 सीताराम कसम मजुदारी सिविल न्यायालय पिढावा में लभित है। अप्रतीया के वाद पत्र एवं जवाब प्रतीया पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में कही भी यह अंकित नहीं किया गया है कि प्रती की पक्ष में की गई पहली रजिस्ट्री दिनांक 28.06.2019 प्रारम्भ से ही विधि निरूद्ध होने से प्रभावशून्य है। किसी Void & Voidable रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को खरीज करने का क्षेत्राधिकार स्वयं सिविल न्यायालय को है। राज्य न्यायालय को नहीं है। यदि किसी वाद में मूल अनुसूचित खातेदारी अधिकारी की घोषणा है और तत्पश्चात् अनुसूचित किसी Ab-initio Void रजिस्टर्ड दस्तावेज को खरीज करने का हो तो क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का न होकर राज्य न्यायालय का होता है। अतः इस्तगत प्रकरण में प्रतीया पत्र का मुख्य विषय वादापत्र का क्षेत्राधिकार से वर्जित होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उपबन्ध-डी तथा उपबन्ध-ए के तहत वाद कारण उपर्युक्त नहीं होने के अन्तर्गत पर दावा खरीज करने का प्रतीया पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही दावे के सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-32 नियम-03 के तहत प्रतिबंधित होने के अन्तर्गत पर विधि द्वारा वर्जित बताया गया है। आदेश 7 नियम 11(डी) सीपीसी के प्रावधानों का मुख्य अर्थ यह है कि किसी न्यायालय द्वारा वाद खरीज कर दिया जायेगा यदि वादापत्र के अधिकतम रूपत किसी किसी के प्रावधानों से वर्जित है। अतः वाद पत्र के किसी अधिकतम से दावा विधि से वर्जित नहीं है तो आदेश 7 नियम 11 के प्रतीया पत्र में वर्जित प्रतिबंधिता लम्बी के अन्तर्गत पर दावे को प्राथमिक रूप से खरीज नहीं किया जाकर लम्बी/विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत पर प्रथम से निराकारों विरहित कर लम्बे लम्बे व दस्तावेजों के अन्तर्गत पर निर्णय किया जायेगा। इस्तगत प्रकरण में वाद पत्र राज्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार प्रावधानों से वर्जित है।



↓
 उच्च न्यायालय
 दिल्ली, दिनांक 20/08/2021

50. सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उपबन्ध-डी के तहत न्यायालय के क्षेत्राधिकार की विधि द्वारा वर्जित होने के आधार पर प्रार्थना पत्र पर विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकन किया है और महस के दौरान स्वीकार किया है कि खातेदार बाला पुत्र भेरु द्वारा वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 1 को किये गये वैधान दिनांक 26.09.2019 का उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, जानकारी होते ही इसे खारिज कराने के लिए सिविल न्यायालय पिडावा में दावा कर दिया है अतः प्रतिवादी क्रम 1 के खिलाफ सिविल न्यायालय में वाद लंबित होने से यह प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज होने योग्य है जबकि अग्रिमार्थक प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की क्रय शुद्धा वादग्रस्त भूमि की रजिस्ट्री के खिलाफ सिविल न्यायालय पिडावा में दावा दर्ज करने मात्र से ना तो प्रार्थी की वैध रजिस्ट्री प्रभावशून्य हो जाती है और ना ही अप्रार्थीगण की अवैध पश्चातवर्ती रजिस्ट्री दिनांक 12.06.2020 विधिवत हो जाती है। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रावधानों से वर्जित है। इस संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

51. प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में पेश न्यायिक दृष्टांत बोदुराम बनाम गणेश 2019(1)आरआरटी 268 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि "Code of Civil Procedure, 1908-order 7, Rule 11-Suit for permanent injunction on the basis of long possession-Application filed to reject the suit dismissed-Contention that the plaintiff is not a khatedar tenant therefore suit is barred by the law-Only tenant is entitled to file the suit for for perpetual injunction-Held, Order set aside and the suit is rejected being barred by law".

इसी प्रकार प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में पेश न्यायिक दृष्टांत हेमराज बनाम बद्रीलाल 2021(1)आरआरटी 500 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि "Code of Civil Procedure, 1908-order 7, Rule 11-Application to reject the plaint-Trial Court dismissed the application-Non-petitioner No. 1 'BL' sold the land by registered sale deed in the year 1983-Petitioners were impleaded in the suit in the year 1997 and the suit was filed in the year 1991-No title and rights of the plaintiff 'BL'



उपलब्ध अधिकारी
पिडावा, जिला अलाहाबाद (राज०)

35
on the suit land-Suit is not maintainable before the Revenue Court unless the sale deed is cancelled-Partboners are the recordd khatedar of the land-Held. Suit is liable to be dismissed

न्यायिक दृष्टांत वाहीवेन बनाम अरविन्दसाई कल्याणजी भंसीजी 2022(2)आर.आर.टी. 1200 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया है कि "Code of Civil Procedure, 1908-order 7, Rule 11-(d)-Plaint rejected-order affirmed by the High Court-Plaintiffs executed the sale deed on 2.7.2009 in favour of the respondent No. 1 who sold the property to respondent No. 2 and 3-Suit filed on 15.12.2014 for cancellation of the sale deeds and declare illegal void and effective-Suit was the time barred-Execution of the sale deed was in the knowledge of the plaintiffs from the very beginning-No explanation that why the plaintiffs remanded silent for 5 ½ year if Rs 1,73,62,000/- was not paid-Limitation of 3 years for cancellation of the sale deed-Deliberately date of sale deed dated 2.7.2009 not mentioned in the plaint-Appellants have tried to mislead Held, No merit in the appeal and dismissed with cost of Rs one lakh.

52 अप्रार्थीगण द्वारा अपने समर्थन में पेश न्यायिक दृष्टांत मोडूराम बनाम राजस्व मण्डल 2015(1) आर.आर.टी.पेज नं. 474 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "Code of Civil Procedure, 1908-Order 7, Rule 11-Raj Tenancy Act, 1955-Secs. 53, 88, 83 & 188-Application filed to reject the plaint dismissed by the Trial Court & order affirmed by the BOR-P claimed their 1/6th share in the land & sought declaration of the k rights for 1/6th share-Revenue Court can grant the relief if the deed is claimed to be void &/ or the cancellation of sale deed is an ancillary to the main relief-Held, No illegality in the order imp".

इसी प्रकार प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में पेश न्यायिक दृष्टांत देवेन्द्रसिंह बनाम रविदर कौर 2014(2) आर.आर.टी. पेज नं. 1263 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अभिनिर्धारित किया है कि "Code of Civil Procedure, 1908-Order 7, Rule 11-Application allowed & plaint rejected-RAA set aside the order-Cause of action is disclosed from the plaint & not barred by any law-Defendants should file the written

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालापाड़ा (रात्र.)

statement & may take all the objections-Held, No illegality or jurisdictional error in the order".

इसी प्रकार प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में पेश न्यायिक दृष्टांत सतीशचन्द्र बनाम सरोती देवी 2015(2) आर.आर.टी.पेज नं. 1396 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अग्निनिर्धारित किया है कि "Code of Civil Procedure, 1908-Order 7, Rule 11-Application rejected-No written statement filed-Suit for declaring khatedar tenant in place of 'K'-Trial Court has held that disposal of the suit is justified after recording evidence-No jurisdictional error in the order & affirmed".

इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के सम्मानपूर्वक अध्यन से जाहिर है कि उक्त न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य व परिस्थितियां हस्तगत प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों से भिन्न होने से पूर्णतः चर्या नहीं होते है।

Barred by Law

53. सर्वप्रथम माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान M.Nelson Babu vs K.Kamalesh Babu में दिनांक 15.09.2009 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 आदेश-7 नियम-11 के उपबन्ध-डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

"11. Order 7 Rule 11(d) has limited application. For its applicability, it must be shown that the present suit is barred under law. Such a conclusion must be drawn from the averments made in the plaint. What would be the relevant for invoking Order 7 Rule 11(d) of CPC are the averments made in the plaint and for that purpose, there cannot be any addition or subtraction. For the purpose of invoking the said provision, no amount of evidence can be looked into".



54. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान Dega Jayalakshmi & Others Vs. Kapoor Enterprises में दिनांक 26.08.2009 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उपबन्ध-डी के

उपखण्ड अधिकारी
चिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“The language of Order VII Rule 11 CPC is quite clear and unambiguous. The plaint can be rejected on the ground of limitation only where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law. Law within the meaning of clause (d) of Order VII Rule 11 must include the law of limitation as well”.

55. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 3460/2000 उनवान Popat and Kotecha Property Vs. State Bank of India Staff Association में दिनांक 29.08. 2005 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उपबन्ध-डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“Clause (d) of Order VII Rule 7 speaks of suit, as appears from the statement in the plaint to be barred by any law. Disputed questions cannot be decided at the time of considering an application filed under Order VII Rule 11 CPC. Clause (d) of Rule 11 of Order VII applies in those cases only where the statement made by the plaintiff in the plaint, without any doubt or dispute shows that the suit is barred by any law in force”.

56. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान Balachandra Builders Vs. Anis and others में दिनांक 01.03.2017 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उपबन्ध-डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“24. Yet another contention of the learned counsel for the applicant/original 6th defendant is that the suit has to be rejected on the ground of limitation. According to the learned counsel though plea of limitation is generally mixed question of law and facts,



उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालंधर (राज०)

when the suit itself is filed beyond the period of limitation, as specifically provided, the suit should be rejected under Order 7 Rule 11 (d), 7 and 8 CPC. In support of his contention, the learned counsel relied on the judgment reported in (2007) 5 SCC 614 (HARDESH ORES (P) LTD. V. HEDE AND COMPANY), wherein the Hon'ble Apex Court in paragraph No.25 and 41 held as follows:

"25.The language of Order 7, Rule 11, C.P.C. is quite clear and unambiguous. The plaint can be rejected on the ground of limitation only where the Suit appears from the statement in the Plaint to be barred by any law. Mr.Nariman did not dispute that "law" within the meaning of clause (d) of Order 7, Rule 11 must include the law of limitation as well. It is well settled what whether a Plaint discloses a cause of action is essentially a question of fact, but whether it does or does not must be found out from reading the Plaint itself. For the said purpose the averments made in the plaint in their entirety must be held to be correct. The test is whether the averments made in the Plaint, if taken to be correct in their entirety, a decree would be passed. The averments made in the Plaint as a whole have to be seen to find out whether clause (d) of Rule 11 of Order 7 is applicable. It is not permissible to cull out a sentence or a passage and to read it out of the context in isolation. Although it is the substance and not merely the form that has to be looked into, the pleading has to be construed as it stands without addition or subtraction of words or change of its apparent grammatical sense. As observed earlier, the language of clause (d) is quite clear but if any authority is required, one may usefully refer to the judgments of this court in Liverpool & London S.P. & I Assn. Ltd. v. M.V. Sea Success I and Popat and Kotecha Property v. state Bank of India Staff Assn.

4
उपखण्ड अधिकारी
पिडना, जिला अलाहाबाद (राज.)

57. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जनमान्य *Kasthuri and others Vs. Baskaran and another* में दिनांक 22.08.2003 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उपबन्ध-डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रामाणिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

"19. It is settled law as held by various Courts that where on the face of the plaint, a suit appears to be barred by any law, the Court shall dismiss the suit. But where it does not so appear, but requires further consideration or, in other words, if there be any doubt or if the Court is not sure and certain that the suit is barred by some law, the Court cannot reject the plaint under Clause (d) of Order 7 Rule 11 of C.P.C.

"20. In this context, it would be relevant to quote the observation made by the Bombay High Court in A.I.R.1999 Bombay 161 (supra), with which I entirely agree. The observation is as follows:

"It is settled law that the plaint can be rejected as disclosing no cause of action if the Court finds that it is plain and obvious that the case put forward is unarguable. The phrase "does not disclose a cause of action" has to be very narrowly construed. Rejection of the plaint at the threshold entails very serious consequences for the plaintiff. This power has, therefore, to be used in exceptional circumstances. The Court has to be absolutely sure that on a meaningful reading of the plaint it does not make out any case. The plaint can only be rejected where it does not disclose a cause of action or where the suit appears from the statements made in the plaint to be barred by any provision of the law. While exercising the power of rejecting the plaint, the Court has to act with utmost caution. This power ought to be used only when the Court is absolutely sure that the plaintiff does not have an arguable case at all. The exercise of this power though arising in civil procedure,



can be said to belong to the realm of criminal jurisprudence and any benefit of the doubt must go to the plaintiff, whose plaint is to be branded as an abuse of the process of the Court. This jurisdiction ought to be very sparingly exercised and only in very exceptional cases. The exercise of this power would not be justified merely because the story told in the pleadings was highly improbable or which may be difficult to believe

58. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 4766/2001 उनवान Ramesh B. Desai and Others Vs. Bipin Vadilal Mehta and Others, में दिनांक 11.07.2006 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उपबन्ध-डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“The plaint without addition or subtraction must show that it is barred by any law to attract application of Order 7 Rule 11 CPC. The principle is, therefore, well settled that in order to examine whether the plaint is barred by any law, as contemplated by sub-rule (d) of Order VII Rule 11 CPC, the averments made in the plaint alone have to be seen and they have to be assumed to be correct. It is not permissible to look into the pleas raised in the written statement or to any piece of evidence.

59. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान Chandra Vs. Reddappa Reddy में दिनांक 10.06.2011 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उपबन्ध-डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“When a part of the relief sought for in the plaint is within time and even if another part of the relief sought for in the plaint is barred by limitation, a plaint cannot be rejection in part. A plaint cannot be rejected in part is a well settled proposition of law.



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
गिड़ावा, जिला इलाका (राज०)

Therefore, the trial court is right in rejecting the application. Further, it has to be pointed out that it is also well settled that the question of limitation is a mixed question of law and fact and therefore that has to be decided only on the basis of the evidence adduced in the trial and therefore the trial court is right in rejecting the application.

60. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 2517/2007 उनवान Hardesh Ores Pvt. Ltd vs M/S. Hede And Company में दिनांक 15.05.2007 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 के उपबन्ध-डी के तहत विधि द्वारा यर्जित (Barred by Law) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

“21. The language of Order VII Rule 11 CPC is quite clear and unambiguous. The plaint can be rejected on the ground of limitation only where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law. Mr. Nariman did not dispute that "law" within the meaning of clause (d) of Order VII Rule 11 must include the law of limitation as well. It is well settled that whether a plaint discloses a cause of action is essentially a question of fact, but whether it does or does not must be found out from reading the plaint itself. For the said purpose the averments made in the plaint in their entirety must be held to be correct. The test is whether the averments made in the plaint if taken to be correct in their entirety a decree would be passed. The averments made in the plaint as a whole have to be seen to find out whether clause (d) of Rule 11 of Order VII is applicable. It is not permissible to cull out a sentence or a passage and to read it out of the context in isolation. Although it is the substance and not merely the form that has to be looked into, the pleading has to be construed as it stands without addition or subtraction of words or change of its apparent grammatical



4

sense. As observed earlier, the language of clause (d) is quite clear but if any authority is required, one may usefully refer to the judgments of this court in Liverpool & London S.P. & I Association Ltd. Vs. M.V. Sea Success I and another : (2004) 9 SCC 512 and Papat and Kotecha Property Vs. State Bank of India Staff Association : (2005) 7 SCC 510.

61. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से वर्जित होने से सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 (डी) के तहत खारिज किये जाने की श्रेणी में होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-7 नियम-11 (डी) के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया है।

यह आदेश आज दिनांक 24.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Handwritten signature
24/01/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
उपखण्ड अधिकारी
जिला झालावाड़ (राज.)
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.)

